कार्यालय प्राचार्य, महंत श्री रामजानकी शरण दास वैष्णव शासकीय स्नातक महाविद्यालय पिपरिया, जिला – कबीरधाम (छ.ग.)

Email-ngcpipariya@gmail.com Website-www.gncplpariya.ac.in

क्र. 204 / अतिथि व्याख्याता / 2024 पिपरिया ,दिनांक 31.08.2024

// अतिथि व्याख्याता हेतु विज्ञापन //

कार्यालय आयुक्त उ. शि. संचालनालय रायपुर का पत्र क्र. 574 / 126 / आउशि / राज. स्था. / 2024 नवा रायपुर दिनांक 06.07.2024 एवं छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्र. एफ 3–54 / स्था / 2020 / 38–1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 20 / 06 / 2024 के परिपालन में महंत श्री रामजानकी शरण दास वैष्णव स्नातक महाविद्यालय पिपरिया में निम्नलिखित विषय में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदको से अतिथि व्याख्याता / अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदक अपने समस्त प्रमाण–पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 09 / 09 / 24 को सायं 4:00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रो पर विचार नही किया जायेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :–

1. अतिथि व्याख्याता को कार्य करने के लिये न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयो में शिक्षको और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानको के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम 2018 के प्रावधानो के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिये परन्तु अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
2. आयु सीमा:–अतिथि व्याख्याता / अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक ।
3. छ.ग. के मूल निवासी अभ्यर्थियो को प्राथमिकता दी जायगी ।

विषय / पदो का विवरण :–

क्रमांक	विषय	सहा.प्राध्यापक
1.	वाणिज्य	1
कुल		**01**

टीप:– संबंधित विषय में नवीन नियुक्ति / नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भरे जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी। यह विज्ञापन उपरोक्त संदर्भित पत्र के कण्डिका 11 अवकाश सुविधा के बिन्दु क्रमांक 11.1 (पी.एच.डी. हेतु कोर्स वर्क / कार्यपूर्ण आवेदन पर अधिकतम 180 दिवस का अवैतनीक अवकाश के विरूद्ध जारी की जा रही है। अतः कार्यरत अतिथि व्याख्याता के अवैतनीक अवकाश से लौटने पर स्वतः समाप्त मानी जायेगी। यह सेवा 31.01.2025 तक के लिए होगी।

शर्ते :–

01. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नाकोत्तर, सेट / नेट, एम. फिल. / पी–एच.डी. एवं अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करे।
02. दिनांक **09.09.24** तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते है । प्राप्त आवेदनो को ही गुणानुक्रम सूची मे शामिल किया जावेगा। ई–मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नही किया

जावेगा ।

03. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनो पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी ।

04. प्राप्त आवेदनो की पश्चात अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक **09.09.24** को सायं 06:00 बजे तक महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट www.gncpipariya.ac.in पर प्रकाशित किया जावेगा।

05. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि **10.09.24** को 04:00 बजे तक होगी ।

06. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक **10.09.24** को सायं 06:00 बजे तक किया जावेगा जिसका अवलोकन महाविद्यालय की वेबसाईट अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।

07. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नही है एवं पूर्व में किसी महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नही पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवाये समाप्त नही की गई है।

08. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नही होता है तो उसे उस दशा में अगले चरणो में सम्मिलित नही किया जायेगा।

09. अतिथि व्याख्याताओ एवं अन्य की सेवाये भविष्य में नियमितीकरण का आधार नही होगा ।

10. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा :-

क्र.	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
(अ) 40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
1	40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	400/-	300/-
2	चार कालखंडो के लिये प्रतिदिनअधिकतम मानदेय	1600/- (41,600/प्रतिमाह अधिकतम)	1200/- (30,000/-प्रतिमाह अधिकतम)
(ब) 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
3	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	500/-	350/-
4	चार कालखंडो के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000/- (50,000/-प्रतिमाह अधिकतम)	1400/- (35,000/-प्रतिमाह अधिकतम)

11. आवेदक बंद लिफाफे के उपर पत्राचार का पता **कार्यालय प्राचार्य, महंत श्री रामजानकी शरण दास वैष्णव स्नातक महाविद्यालय पिपरिया जिला-कबीरधाम (छ.ग.).** एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखे।

12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किये गये अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को महाविद्यालय स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और लोक-सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक-सेवक नहीं कहलायेंगे।

13. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थि रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।

14. इन्हे सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशो का पालन करना अनिवार्य होगा।

15. कक्षाओं के संचालन के साथ-साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, छात्रसंघ, चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीडा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्याकंन, नैक मुल्याकंन संबंधी कार्यो में सहयोग प्रदान करेंगे।

16. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथ्वा अन्य शिकायते प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रो में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नही होगें।

31/8/24

प्राचार्य
महंत श्री रामजानकी शरण दास वैष्णव
शासकीय स्नातक महाविद्यालय पिपरिया
जिला- कबीरधाम (छ.ग.)